



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07082026-275271
CG-DL-E-07082026-275271

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4181]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 6, 2026/श्रावण 15, 1948

No. 4181]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 6, 2026/SHRAVAN 15, 1948

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अगस्त, 2026

का.आ. 4357(अ).— केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम एवं खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का) अधिनियम) (अर्जन 1962) (1962 का 50) (इसमें इसके बाद उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा (2 के खंडके (क) अनुसरण में, नीचे दी गई अनुसूची के स्तंभ 1 में उल्लिखित व्यक्ति को, उक्त अनुसूची के स्तंभ 2 में की तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लिखित क्षेत्र के संबंध में उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्:-

अनुसूची	
प्राधिकारी का नाम और पदनाम (1)	अधिकारिता का क्षेत्र (2)
राजस्व मंडल अधिकारी, इब्राहिमपटनम (तेलंगाना) सक्षम प्राधिकारी, मलकापुर -हैदराबाद एटीएफ पाइपलाइन परियोजना, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड) बीपीसीएल (	तेलंगाना राज्य

यह अधिसूचना जारी होने की तारीख से लागू होगी।

[फा. सं. आर-11025/3/2026-ओआर-1/ई-56867]

हरित कुमार शाक्य, अवर सचिव

**MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS
NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th August, 2026

S.O. 4357(E).— In pursuance of clause (a) of Section 2 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Government of India hereby authorizes the person mentioned in column (1) of the Schedule given below to perform the functions of the “Competent Authority” under the said Act, in respect of the area mentioned in column (2) of the said Schedule:

SCHEDULE	
Name & Designation of the Authority (1)	Area of jurisdiction (2)
Revenue Divisional Officer, Ibrahimpatnam (Telangana) Competent Authority, Malkapur-Hyderabad ATF Pipeline Project, Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL)	State of Telangana

This notification will be effective from the date of its issue.

[F. No. R-11025/3/2026-OR-I/E-56867]

HARIT KUMAR SHAKYA, Under Secy.